



कार्यालय वनमंडलाधिकारी हरदा (सामान्य) वनमंडल



07577 - 222003



07577 - 224224



Email : dfotharda@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/ 1840
प्रति,

हरदा, दिनांक

19/03/2024

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
हरदा म.प्र.

विषय :-

बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत हरदा-बैतूल सेक्शन NH-47 के तहत टेमागांव से चिचोली तक मार्ग निर्माण हेतु वनमंडल पश्चिम बैतूल की 6.362 हेक्टेयर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) वनमंडल की 4.772 हेक्टेयर एवं हरदा वनमंडल की 0.061 हेक्टेयर कुल 11.195 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 11.399 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबत प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/153796/2022)

संदर्भ :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 039/2023-BHO दिनांक 05.02.2024।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, म.प्र. भोपाल पत्र क्रमांक/एफ-5/1315/2023/10-11/1036 दिनांक 14.02.2024।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण की सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति जारी की है।

1. स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की पूर्ण राशि (पर्यवेक्षण शुल्क सहित) एवं नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में नीचे दर्शाये अनुसार जमा करावे -

क्र.	मद	रकबा (हेक्टेयर)	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	राशि रु. में	रिमार्क
1	नेट प्रजेण्ट वैल्यू	0.061	.6	III	74944.00	-
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	वनमंडल पश्चिम बैतूल द्वारा ली जायेगी।				
3	अन्य राशियां जो कैम्पा मद में जमा होना है	-	-	-	-	-
योग					74944.00	

(राशि रुपये में - चौहत्तर हजार नौ सौ चवालिस मात्र)

2. स्वीकृति पत्र में अधिरोपित समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
3. स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों में जिन शर्तों में वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना है उनमें वचन पत्र प्रस्तुत करें।
4. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर हरदा का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध करावें ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अनिल चोपड़ा)
वन मंडल अधिकारी
हरदा (सामान्य) वनमंडल

पृ0क्र0/मा.चि./1995

1841

हरदा, दिनांक

19/03/2024

- प्रतिलिपि :-
01. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध), वन भवन तुलसी नगर म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
 02. वन संरक्षक नर्मदापुरम वृत्त नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
 03. उप वनमण्डलाधिकारी (उत्तर) हरदा एवं परिक्षेत्र अधिकारी टेमागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल चोपड़ा)
वन मंडल अधिकारी
हरदा (सामान्य) वनमंडल

कार्यालय वनमंडल अधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल

आकाशवाणी रोड बैतूल, (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07141234708

ईमेल -dfotwbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/
प्रति,

692

बैतूल दिनांक, 07/3/2024

- विषय:- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प.कि.ई. मकान नं. 54-55 (प्रथम तल)
अमरलोक कॉलोनी हरदा म.प्र.
- संदर्भ:- 1 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रं./6-MPR 039/2023-BHO दिनांक 05.02.2024
2 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, भू-प्रबंध, वन भवन भोपाल का पत्र क्रं./एफ-4/1315/10-11/1036 दिनांक 14.02.2024, एवं एफ-5/2023/10-11/4104 दिनांक 13.09.2023
3 कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./793 दिनांक 12.06.2023

उपरोक्त- विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा वनमंडल के सांवलीगढ़ एवं गवासेन परिक्षेत्र अंतर्गत बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा जिले में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हरदा-बैतूल सेक्शन एन.एच-47 के तहत टेमागांव से चिचोली तक मार्ग निर्माण (Additional Land) हेतु प्रस्ताव क्रं. FP/MP/ROAD/153796/2022 में कक्ष क्रमांक RF4, RF8, RF9, RF10, RF15, RF16, RF 38, RF49, PF 369, PF 1420, PF 1567 रकबा 6.362 हेक्ट. वन भूमि के व्यपवर्तन का ऑनलाईन आवेदन वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध वन भवन भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्रं.	मद	रकबा (हे.में)	घनत्व (Density)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क
1	नेट प्रजेण्ट वेल्यू	6.362	0.6	III	86,33,934	-
योग राशि						
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	25.00	0.5	III	1,21,09,413	-
योग राशि						
3	अन्य राशियां जो कैम्पा मद में जमा होना है।	-	0.6	III	16,92,217	एन.एच.47 में प्रभावित वनरक्षक नाका अजई तथा बाउंड्रीवाल फेंसिंग
महायोग राशि महायोग राशि					2,24,35,564	

उपरोक्तानुसार राशि रु. 2,24,35,564/- को कैम्पा निधि के अंतर्गत CAMPA FUND COMPENSATORY AFFORRESTATION FUND (CAF) MADHYA PRADESH ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से ऑनलाईन जमा करते हुये चालान की प्रति वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत करे एवं शर्तों का वचन पत्र प्रस्तुत करे है।

पृ.क्र./मा.चि./2024/ 693

प्रतिलिपि - प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, भू-प्रबंध, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ समर्पित।

वनमंडल अधिकारी,
पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल
बैतूल, दिनांक : 07/3/2024

वनमंडल अधिकारी,
पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

Phone No. (07574-254178, 254808)

E-Mail -dfot.hbd@mp.gov.in

नर्मदापुरम, दिनांक 26 / 02 / 2024

क्रमांक / मा.चि. / 1994

प्रति,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
हरदा म0प्र0

विषय :- बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत हरदा- बैतूल सेक्शन NH-47 के तहत टेमागांव से चिचोली तक मार्ग निर्माण हेतु वन मंडल पश्चिम बैतूल की 6.362 हेक्टेयर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) वन मंडल की 4.772 हेक्टेयर एवं हरदा वन मंडल की 0.061 हेक्टेयर कुल 11.195 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 11.399 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबत। प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/153796/2022)

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPR 039/2023-BHO दिनांक 05.02.2024।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू- प्रबंध), वन भवन, म.प्र. भोपाल पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1315 / 2023 / 10-11 / 1036 दिनांक 14.02.2024।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण की सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति जारी की हैं।

1. स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की पूर्ण राशि (पर्यवेक्षण शुल्क सहित) एवं नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में नीचे दर्शाये अनुसार जमा करावे -

क्र.	मद	रकबा (हेक्टेयर)	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	राशि रु. में	रिमार्क
1	नेट प्रजेण्ट वैल्यू	4.772	.5	III	5862831.00	
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	वनमंडल पश्चिम बैतूल द्वारा ली जावेगी।				
3	अन्य राशियां जो कैम्पा मद में जमा होना हैं।	-	-	-	-	-
योग-					5862831.00	

(राशि रुपये में- अठ्ठावन लाख आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र)

2. स्वीकृति पत्र में अधिरोपित समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
3. स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों में जिन शर्तों में वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना है उनमें वचन पत्र प्रस्तुत करें।
4. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर नर्मदापुरम का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध करावें ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(अनिल चोपड़ा)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम

नर्मदापुरम, दिनांक 26 / 02 / 2024

पू0क्रमांक / मा.चि. / 1995

प्रतिलिपि :- उप वनमंडलाधिकारी सिवनी मालवा एवं परिक्षेत्र अधिकारी सिवनीमालवा की ओर सूचनार्थ एवं सैद्धांतिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी

वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम